वित्त निर्देश 29/2006

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 293 /सी-8908/वित्त/नियम/चार/2006 रायपुर, दिनांक 05 /09 /2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- **राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरो पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति ।**

संदर्भ:-
1. वित्त विभाग का ज्ञापन क. 151/सी-133/वित्त/नियम/चार/05, दिनांक 19.4.2005
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क. 471/सी-133/वित्त/नियम/चार/05, दिनांक 05.12.2005
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क. 167/सी-1016/वित्त/नियम /चार /06, दिनांक 20.4.2006

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियो को पुनरीक्षित दरो पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया गया है, तथा संदर्भित ज्ञापन कमांक 3 द्वारा दुर्ग-भिलाई नगर, रायपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दल्ली-राजहरा तथा जगदलपुर नगर हेतु मकान किराया भत्ता के उद्देश्य से नगर की सीमा हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर समूह [URBAN AGGLOMERATION] की सीमा को मान्य किया गया है ।

उक्त संबंध में कुछ कार्यालयों द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञापन दिनांक 20.4.2006 द्वारा कतिपय नगरों के लिए मकान किराया के उद्देश्य से नगर समूह [URBAN AGGLOMERATION] की सीमा को मान्य करने के फलस्वरूप ज्ञापन दिनांक 19.4.2005 में दिये गये नगरों के वर्गीकरण की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा । केवल नगर की सीमा यथा आवश्यक संशोधित होगी ।

विभागों के मार्गदर्शन हेतु नगर समूहों [URBAN AGGLOMERATION] में शामिल क्षेत्रों की सूची नीचे दी गई है :-

क	नगर समूह	नगर/शहर की नागरिक प्रस्थिति
1.	दुर्ग-भिलाई नगर	दुर्ग (न.नि.), भिलाई नगर(न.नि.), भिलाई चरोदा(न.पा.), जामुल(न.पं.), कुम्हारी(न.पं.),

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

2.	रायपुर	रायपुर (न.नि.),चंगोरा (बा.बृ.), हीरापुर जरवाय (बा.बृ.)
		पुरैना (बा.बृ.),रायपुरा (बा.बृ.), तेलीबांधा (बा.बृ.), खमतराई (बा.बृ.), शंकर नगर (बा.बृ.), रावाभाटा (बा.बृ.), अमलीडीह (बा.बृ.), टाटीबंध (बा.बृ.), लभांडी (बा.बृ.), रायपुर खास (बा.बृ.), भनपुरी (ज.नगर), मोवा (ज.नगर)
3.	चिरमिरी	चिरमिरी (न.पा.), चित्ताझोर (बा.बृ.)
4.	अंबिकापुर	अंबिकापुर (न.पा.), फुण्डरडिहारी (ज.नगर), नमना कला (ज.नगर)
5.	रायगढ़	रायगढ़ (न.पा.),बोइरदादर (बा.बृ.), अमलीभौना (बा.बृ.)
6.	बिलासपुर	बिलासपुर (न.नि.), तिफरा (बा.बृ.), देवरी (ज.नगर), सिरगिटी (ज. नगर), लिगियाडीह (ज.नगर)
7.	दल्ली-राजहरा	दल्ली-राजहरा (न.पा.), चिखलीकला (बा.बृ.)
8.	जगदलपुर	जगदलपुर (न.पा.), अगहनपुर (बा.बृ.), धरमपुरा (बा.बृ.), कांगोली (बा.बृ.), जगदलपुर कस्बा (बा.बृ.), सरगीपाल (बा.बृ.), पखनागुड़ा (बा.बृ.), फ्रेजरपुर (ज.नगर), हाटकचौरा (ज.नगर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

पृष्ठां.क्रमांक 294 /सी-8908/वित्त/नियम/चार/2006 रायपुर, दिनांक 05.09.2006

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता /उपमहाधिवक्ता,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
14. समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
15. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
17. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

वित्त निर्देश- 15/2005

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक 151/सी-133/2005/वि./नि./चार, रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2005.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति।
संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक (1) एफ.बी.-11/1187/नि-2/चार, दिनांक 16-4-1987, (2) एफ.बी. 11/1/87/आर-2/चार, दिनांक 15-6-1987 (3) एफ.बी. 11/1/(5)/89/नि.-2/चार, दिनांक 15-12-1989 तथा (4) एफ.आर. 17-02-96/ चार /ब-9, दिनांक 11-3-1996

राज्य शासन के कर्मचारियों वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर. 17-02-96/ चार /ब-9, दिनांक 11-3-1996 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है । वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर शहरों/नगरों का पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है । तद्नुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16-4-1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-1987 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार होगी ।

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर (मूल वेतन का)
1.	'बी-2' श्रेणी	रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर	10 प्रतिशत
2.	'सी' श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली-राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा	7 प्रतिशत
3.	अन्य क्षेत्र		4 प्रतिशत

Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

2. गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में प्राप्त मूल वेतन से है ।

3. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तो के अधीन होगी । इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय मंहगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एल.आर. 17-3-96/चार/ब-9 दिनांक 23-4-1996 के अनुसार स्वीकृत किया गया है एवं अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्तें (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ.बी-8/1/53/नि-2/चार दिनांक 20-10-1993 एवं आर 17-3-95/चार/ब-9 दिनांक 11-8-1995 के अनुसार स्वीकृत की गई हैं) को शामिल किया जाना है ।

4. ये आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाले तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगें ।

5. गृह भाड़ा भत्ते की यह दरें दिनांक 1.4.2005 (अर्थात माह अप्रैल, 2005 का वेतन जो मई, 2005 में देय है) से प्रभावशील होगी ।

6. यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

पृ.क्रमांक 152/सी-133/2005/वि./नि./चार, रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त सदस्य, पेंशनर कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ ।
20 संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की वेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चकवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

वित्त निर्देश 24/2021

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र/583/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17.9.2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.07.2021 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

--0--

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 390/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 22 अगस्त, 2019 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जनवरी, 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 154% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये:-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 01.07.2021	5%	17%
छठवां वेतनमान	दिनांक 01.07.2021	10%	164%

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 01.07.2021 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/9/2021
(आनंद मिश्रा)
उप सचिव

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

पृ.क्र.584 / एफ 2013-04-00416 / वि / नि / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17.9.2021

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

— को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

उप सचिव

वित्त विभाग

Principal

Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College

Durg (C.G.)

वित्त निर्देश 13/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 88 /सी-11389/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 19.04.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।

विषयः -शासकीय सेवकों को देय अवकाश यात्रा सुविधा ।

संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 1324-सी-आर/2654/4/चार दिनांक 17.11.1972

राज्य शासन के कर्मचारियों को संदर्भित ज्ञापन एवं इसके अनुक्रम में समय-समय पर जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा हेतु 2 वर्ष में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता होती है । इस विभाग के ज्ञापन कमांक 193/201/वित्त/नि/चार दिनांक 8.4.2002 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार यह सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित गृहनगर तक अथवा गृहनगर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर होने पर राज्य के भीतर अंतिम रेल्वे स्टेशन अथवा राज्य की सीमा तक के लिए है ।

शासन द्वारा विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) राज्य शासन के कर्मचारियों को यह सुविधा 4 वर्ष के खंड में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर जाने के लिए, गृहनगर जाने की सुविधा के बदले में दी जाए । अर्थात यदि वर्ष 2006-2009 के खण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर जाने के लिए वर्ष 2006 य 2007 में यह सुविधा प्राप्त की जाती है तो वर्ष 2006-2007 के 2 वर्ष के खण्ड में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं होगी ।

(2) उक्त सुविधा हेतु प्रथम 2 वर्ष का खण्ड वर्ष 2006-07 तथा चार वर्ष का खण्ड वर्ष 2006-09 होगा ।

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

(3) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु जाने एवं वापसी के समय 80 किलोमीटर तक के व्यय का वहन शासकीय सेवक द्वारा स्वंय करने संबंधी शर्त को समाप्त किया जाए ।

(4) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल एवं सड़क मार्ग से यात्रा की श्रेणी की पात्रता वह होगी जो स्थानांतर पर यात्रा हेतु है ।

(5) सन्दर्भित ज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

पृ.क्रमांक 89/सी-11389/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2007

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

वित्त निर्देश- 27/2004

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 708/622/वि/नि/चार/2004 रायपुर दिनांक 4 अगस्त,2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ ।

विषय :शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण पर यात्रा तथा प्रदेश के बाहर महानगरों में स्थानीय यात्राओं के लिए दरों का पुनरीक्षण ।

--0--

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 273/562/वि/नि/चार/02 दिनांक 05.04.2003 द्वारा शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण किया गया है । राज्य शासन द्वारा स्थानान्तर पर की गई यात्रा एवं प्रदेश के बाहर महानगरों में स्थानीय यात्राओं के लिए दरों में निम्नानुसार संशोधन का निर्णय लिया गया है -

2. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1571/नि/182/चार, दिनांक 30 नवम्बर, 1982 की कंडिका 6 को संशोधित करते हुए स्वयं की कार से स्थानान्तर पर यात्रा करने पर परिवहन की दर रूपये 3.00 प्रति किलोमीटर निर्धारित की जाती है ।

3. स्थानान्तर पर सामान बांधने, खोलने, लादने, उतारने तथा अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी-72/2111/88/नि-1/चार, दिनांक 4 मार्च, 1989 द्वारा निर्धारित स्थानांतर अनुदान की दरें निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

		रूपये
1	ग्रेड ए शासकीय सेवक -	
(क)	प्रतिमाह 11000 या इससे अधिक वेतन पाने वाले	2000
(ख)	प्रतिमाह 10650 से 10999 तक वेतन पाने वाले	1600
2	ग्रेड बी शासकीय सेवक	1200
3	ग्रेड सी शासकीय सेवक	800
4	ग्रेड डी शासकीय सेवक	600

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

4. वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.आर. 17-04/96/ब-9/चार, दिनांक 13.7.1996 द्वारा निर्धारित स्थानांतरण पर निजी सामान के परिवहन संबंधी पात्रता एवं दरों को संशोधित करते हुए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती है :-

	शासकीय सेवक की श्रेणी	**रूपये प्रति किलोमीटर**
1	श्रेणी ए	15.00
2	श्रेणी बी	8.00
3	श्रेणी सी	4.50
4	श्रेणी डी	4.00

5. वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक जी-22/6/94/सी/चार, दिनांक 4 अक्टूबर,1996 द्वारा प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं के लिए माइलेज की दरें निर्धारित की गई है । उक्त ज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

(क) पैरा 3 में शहरों की सूची में 'सूरत' शहर भी जोड़ा जाये ।
(ख) पैरा 7 में रूपये 5900 के स्थान पर रूपये 18400 पढ़ा जाये ।
(ग) पैरा 8 में रूपये 100 के स्थान पर रूपये 200 पढ़ा जाये ।

6. यह आदेश दिनांक 1.8.2004 या इसके पश्चात् प्रारम्भ की गई यात्राएँ/निजी सामान की ढुलाई पर लागू होंगे ।

7. यह सुनिश्चित किया जाये कि इस आदेश के अन्तर्गत किये गये व्यय विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से अधिक न हों ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

पृ.क्र. 709/622/वि/नि/चार/2004 रायपुर दिनांक 04 अगस्त, 2004

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचान आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छग., रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छग., रायपुर ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

Govt. of Chhattishgarh Higher Education Department
Govt. V.Y.T.PG. Autonomous College, Durg Durg, Distt.-Durg -

P A Y S L I P

Bill Unit: 2
Emp.ID: 224
Name: DINESH KUMAR MISHRA
Designation: Lab. tech. 04

Month: 11/2023
BankA/CNo.: 10046860469
Emp.Code: 10380010118

BillGross/NetAmt./VoucherNo.: 815158/655958/
GPF/DPF/CPS: CED604348
BillNo. & Dt: 190,11/23/2023

-------------------D r a w a l s-------------------D e d u c t i o n s / R e c o v e r i e s-------------------

Drawals		Deductions/Recoveries	
Basic:42000		GPF/DPF/Tier1:10000	GIS:300
D.A.:17640 HRA:3780	Other.All.:375	IncomeTax:500	

GrossSal.:63795 TotalDed.:10800 NetSal.:52995

This is an electronically generated document and does not need any signatures

Cut Here-------------------Cut Here-------------------Cut Here

Govt. of Chhattishgarh Higher Education Department
Govt. V.Y.T.PG. Autonomous College, Durg Durg, Distt.-Durg -

P A Y S L I P

Bill Unit: 2
Emp.ID: 204
Name: RAJU PRASAD
Designation: ASSISTANT GRADE-03

Month: 11/2023
BankA/CNo.: 10046862581
Emp.Code: 10380010092

BillGross/NetAmt./VoucherNo.: 815158/655958/
GPF/DPF/CPS: CED397745
BillNo. & Dt: 190,11/23/2023

-------------------D r a w a l s-------------------D e d u c t i o n s / R e c o v e r i e s-------------------

Drawals		Deductions/Recoveries	
Basic:37500		GPF/DPF/Tier1:12500	GIS:300
D.A.:15750 HRA:3375	Other.All.:675	IncomeTax:500	
		FestivalRec(1/10):1000	

GrossSal.:57300 TotalDed.:14300 NetSal.:43000

This is an electronically generated document and does not need any signatures

Cut Here-------------------Cut Here-------------------Cut Here

Principal
Govt. V. Y. T. PG. Auto. Col
Durg (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,दुर्ग (छ.ग.)
नैक द्वारा मुल्यांकन ग्रेड A+
फोन नं. 0788–2359688, फैक्स नं. 0788–2212030

क्र. 9/2023 दुर्ग, दिनांक 8/12/2023

आदेश

श्री राजू प्रसाद, पद– सहायक ग्रेड–03 को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 8/12/23 को आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नया रायपुर में जमा कर पावती साथ में लावे। उक्त कार्य हेतु आपको नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

प्राचार्य
शास.वि.या.ता.स्नात.स्व.महाविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

Bill No. 295 Date 18/03/2024 Claims Bill

D.D.O. Code - 1038001

Govt. of Chhattishgarh,Higher Education Department

Govt. Arts & Science College,Durg, Distt.-Durg

C.G.

TA BILL

(Non-Gazetted Establishment)

Bill Unit : 1112
Bill No. 295
Date 18/03/2024
B.T.R. No. 544330

Voucher No. 317
Date 23.03.24

Bill Unit : 1112
Adjustd by:_______
Voucher No.:_______
Dated, the:_______

TR-REIMBURSEMENT BILL

Detailed **TRB** Bill of the Establishment of **PRINCIPAL GOVERNMENT ARTS COMMERCE & SCIENCE COLLEGE DURG** for the month of 03/2024.

Head of Account

Classification

Demand No :**44**
Major Head :**2202**
Sub Major Head :**[03]**
Minor Head :**{103}**
Segment Code :**0101**
Scheme Code :**(0798)**
Object Head :**#03**
Detail Head :**001**
Voted/Charged :**V**

Grant No. :_______
Group Head :_______
Sub-Head or Unit :_______
Appropriation :_______

Sr.No.	Employee Code Name and Pay	GPF/DPF A/C No. IFSC Code Bank A/C No.	Order No. and Order Date Letter of Authority	Gross Claim	Recovery Of Advance	Net Amount Payable	Remarks
1	10380010092 RAJU PRASAD Pay:37500	CED397745CED397745 SBIN0009517 10046862581	222 12/12/2023 1038001-PRINCIPAL GOVERNMENT ARTS COMMERCE & SCIENCE COLLEGE DURG	1830	0	1830	
2	10380070002 PADMAWATI KUNAPULI Pay:217100	CED406376CED406376 SBIN0000370 10045282422	222 12/12/2023 1038001-PRINCIPAL GOVERNMENT ARTS COMMERCE & SCIENCE COLLEGE DURG	1525	0	1525	
Total:						3355	

Net amount required for payment (in words) Rupees : THREE THOUSAND THREE HUNDRED AND FIFTY FIVE ONLY.

Paid & Cancelled
Acctt Registrar

Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous
College Durg (C.G.)